आरती में अध्यक्ष पद पर 10 वर्षों तक रहते हुए उतार–चढ़ाव के साथ मेरे कुछ खट्ठे–मीठे अनुभव – एक झलक

मेरे प्रिय साथियों,

साथियों, मुझे इस संघ में 2009 से 2019 तक अध्यक्ष पद पर कार्य करने का सौभाग्य मिला। मैं इस पद पर 10 वर्षों तक रहा। इस दौरान मुझे आपका भरपूर सहयोग मिला। इसके लिए मैं कृतज्ञ व आभारी हूं।

प्रिय साथियों, मैंने आरती सन् 1994 में ज्वाइन की। मैंने सन् 1996 में यूनिट सेक्रेटरी के रूप में अपना करियर आरंभ किया। तब मैं उस दौरान मुख्य यूनिट, एच.पी.टी., किंग्सवे, आकाशवाणी, दिल्ली में था। उस दौरान इस संघ में अनुभवी पदाधिकारियों जैसे श्री पी.एन. कोहली, श्री मधुर मालवीय, श्री आर.पी. भारद्वाज किंग्सवे में कार्यरत थे। मैंने उनसे सीखना आरंभ किया। सन् 1998 में मुझे उपाध्यक्ष नॉर्थ जोन चुना गया। मैं इसी पद पर 1998–2000 और 2000–2003 (दो बार) रहा। उस दौरान श्री बच्चु सिंह मीना, अध्यक्ष व श्री अनिल कुमार एस, जनरल सेक्रटरी थे। सन् 2003 में मुझे अतिरिक्त महासचिव चुना गया। इस दौरान स्व. श्री रोबिन दास गुप्ता अध्यक्ष और श्री अनिल कुमार एस. जनरल सेक्रेटरी थे।

मैंने जनरल सेक्रेटरी के रूप में जब वे किसी कारणवश अनुपस्थित होते थे अपने कार्य का भलिभांति निष्पादन किया। । सन् 2006 में मुझे जनरल सेक्रेटरी के पद पर चुना गया। उस दौरान श्री अनिल कुमार एस अध्यक्ष थे। यह कठिनाई का दौर था। परन्तु हमने कंधे–से–कंधा मिला कर कार्य किया तथा साबित किया कि हम इस संस्था को संभाल सकते हैं। आरती का पंजीकरण का पिछले 13 वर्षों से नवीनीकरण नहीं हुआ था, उसको हमने नवीनीकरण करवाया। मैंने सन् 2006 से 2009 तक जनरल सैक्रेटरी के रूप में दो बार कार्य किया। सन् 2009 को मैं अध्यक्ष बना और श्री अनिल कुमार एस जनरल सेक्रेटरी बने।

जब मैंने आरती में अध्यक्ष का पद संभाला तो कुछ ही महीनों बाद पक्षपाती लोग सोच रहे थे कि वही **legitimate** नेता हैं और वही आरती को चला सकते हैं। उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। जब मैंने संयुक्त संघर्ष समिति के प्लेटफार्म से हमारी मांगों के लिए जैसे ए.सी.पी. पटना, "वन केडर वन पे" तकनीशियन बनाम लाइटिंग असिस्टेंट इत्यादी, समस्याओं के समाधान के लिये धरना प्रदर्शन किया तो ठीक उसी समय नेफेड ने भी संयुक्त संघर्ष समिति को फेल करने के लिए धरना व प्रदर्शन किया। खैर, इसके बाद नेफेड की गलत गतिविधियों के कारण सभी संघों की मान्यता को समाप्त किया गया। सभी नेताओं को दंडित व प्रताड़ित किया गया। मुझे कारगिल भेजा गया। इन सबके बावजूद हम संघ को जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे व अनौपचारिक बैठकें करते रहे। इसी दौरान सदस्य (पी) ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) वी.ए.एम. हुसैन से मिलने के उपरान्त मैंने **EA/SEA** का 4200/– ग्रेड पे के मर्जर को रूकवाया वरना हमारी अन्य सभी मांगें उसी समय समाप्त हो जातीं।

आखिरकार सन् 2013 में संघ को मान्यता मिली और चुनाव कराये गये। 2013 के चुनाव के उपरान्त जब चुनाव परिणाम कुछ लोगों को पसंद नहीं आये तो उन्होंने सहयोग करना बंद कर दिया। मैंने संघ की भलाई के लिए उन लोगों से तालमेल बैठाने का बहुत प्रयास किया परन्तु दूसरी ओर से कुछ लोगों को शांति बनाए रखने में कोई रूचि नहीं थी। कुछ लोग आरती और मेरी छवि को नष्ट करने की कोशिश करते रहे। चुनाव के उपरान्त उन्होंने योजना के तहत प्रसार भारती में चुनाव संबंधी शिकायतें कीं। तब प्रसार भारती के चतुर प्रबंधन ने तुरंत इस संबंध में जांच कमेटी गठित कर दी। तब जांच समिति ने हमारी कुछ भी सुने बिना हमारे विरूद्ध रिपोर्ट बना कर सौंप दी। हमने इसका पुरज़ोर विरोध किया और इस मामले को **DoPT** में भेजा गया और वहीं से जवाब आया कि प्रसार भारती संघ के चुनाव प्रक्रिया में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके बाद लखनउ में दिनांक – 30.01.2014 को **CWC** की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सीडब्लयूसी के सामने निवर्तमान जनरल सेक्रेटरी ने इस जांच रिपोर्ट के आधार पर पुनः चुनाव करवाने का प्रस्ताव रखा। दुर्भाग्यवश इस प्रस्ताव पर किसी भी एक साथी का सहयोग नहीं मिला। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी ने दिनांक–06.02.2014 को अपना त्याग पत्र दे दिया। बाद में दो सिविल सूट माननीय हाई कोर्ट में दायर किये गये परन्तु उनके हाथ कुछ न लगा। मेरी राय में यह त्यागपत्र उन सदस्यों की भावनाओं के साथ धोखा था, जिन्होंने उनको अपना अमूल्य मत दिया था। उनके त्यागपत्र के बाद हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। आखिर हमने चुनौतियों को स्वीकारा और समस्याओं के समाधान के लिये कार्य करना आरंभ कर दिया।

प्रमुख उपलब्धियां

1. EA(5K) के वेतनमान 6500–10500 के केस का समाधान –

EAs जिन्होंने दिनांक–25.02.1999 के उपरान्त अपना कार्यभार संभाला, उनको वेतनमान रू. 5000–8000 दिया गया। हमें प्रसन्नता है कि यह मुद्दा जो 25.02.1999 से लंबित था, उसको आरती के वर्तमान समिति ने समाधान किया। आरती के OA 4012/2014 के अनुसरण में 434 के ज्यादा ई.ए. ने वेतन–मान 6500–10500 प्राप्त किए और साथ ही प्रत्येक को एरियर रूपये 8 लाख से 10 लाख मिले। जिन सदस्यों ने दिनांक– 25.02.1999 एवं 05.02.2007 के दौरान पूर्व संशोधित वेतनमान 5000–8000 मे कार्यभार संभाला है उन 434 ई.ए. को 36 करोड़ रूपये का वितरण किया गया। मोटे तौर पर लगभग 40 करोड़ रूपये 550+ ई.ए. को दिए गए और साथ ही उनके वेतन में प्रत्येक महीने में रूपये 8000 से 10000 तक वृद्धि हुई।

यहां मैं इस केस से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूं, जब कुछ लोग कोर्ट के फैसले को लागू करने में देरी के कारण को हमें दोषी और आरोपी मान रहे थे उनको मालूम नहीं था कि कोर्ट का फैसला कमज़ोर था। यह केवल दावा विचार के लिए था अन्यथा स्पीकिंग ऑर्डर के लिए था। विभाग यह कह कर कि दावे पर विचार किया गया और यह संभव नहीं पाया गया कहकर केस खत्म कर सकता था। कुछ लोगों को पता भी नहीं कि DG:AIR ने स्पीकिंग ऑर्डर इशु भी कर दिया था। प्रसार भारती ने इसके अनुमोदन के लिए यह कहकर इन्कार कर दिया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसको देने के लिए सहमत हो गए हैं चूंकि इस दौरान हमारी मीटिंग दिनांक – 22.04.2014 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसार भारती से हो चुकी थी। इसलिए फैसला कमजोर था फिर भी हमने इसको अपनी कोशिशों से बचाया।

2 सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ 7th CPC at par को लागू करवाना –

कुछ नकारात्मक लोगों ने भ्रम फैलाया कि हमें 7th CPC नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसमें हमारा उल्लेख नहीं है। वर्तमान समिति ने समय पर कोशिश की तथा 7th CPC को अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ ही लागू करवाया। नकारात्मक सोच वालों की कभी जीत नहीं होती।

3 तकनीशियनों के साथ लाईटिंग सहायकों को पे पेरिटी रू. 5000–8000 के केस का समाधान –

लाईटिंग सहायकों के वेतन पे पेरिटी रू. 5000–8000 के केस का समाधान किया गया तथा 1800+ योग्य तकनीशियनों को 5000–8000 का वेतनमान दिनांक– 01.01.1996 से आकाशवाणी महानिदेशालय के आदेश दिनांक – 12.05.2017 के द्वारा दिया गया। करीब रूपया 1.5 से 2.00 लाख रूपये 1800 से ज्यादा तकनीशिनों को दिये गये और साथ ही उनके मासिक वेतन में पर्याप्त वृद्धि हुई।

4 तकनीशियनों के वेतनमान 4000–6000 से 4500–7000 का समाधान –

यह केस इंजीनियरिंग असिस्टेंट (5K) के समतुल्य था। परन्तु तकनीशियनों के वेतनमान 4500–7000 जिन्होंने 25.02.2019 के बाद अपना कार्यभार संभाला, उस मुद्दे को कभी उठाया ही नहीं गया था। हमने उस मुद्दे को उठाया (OA 1575/2015) काफी अड़चनों के पश्चात् 662+ तकनीशियनों को 4500–7000 का वेतनमान और साथ ही बकाया राशि प्रत्येक को 6 से 7 लाख का एरियर भुगतान किया गया। हम बकाया राशि दिलाने में भी सफल हुए । यह मामला काफी अड़चनों के बावजूद क्रियान्वन हुआ। जबकि तीन केस जैसे उत्पल कारफा में निर्णय notional व अन्य 4 केस में एरियर के साथ देने का कोर्ट का निर्णय था। पहले विभाग इसके नोशनल क्रियान्वयन करने की सोच रहे थे तो जब हमने विरोध किया तब कोर्ट वर्डिक्ट के अनुसार देने के लिए वे सहमत हुए। पुनः विरोध करने पर बकाया राशि के साथ अपनी सहमति दी। लगभग 700 तकनीशियनों को 38 करोड़ रूपये का बकाया राशि का भुगतान उनको किया गया जो वेतनमान 4000–6000 में कार्यरत थे और उनके मासिक वेतन में 6000 से 8000 तक की पर्याप्त वृद्धि हुई। बाद में इन टैक्नीशियन्स को 5000–8000/– का वेतनमान भी दिलवाया गया।

5. AE को चार साल की सेवा में 5400/– ग्रेड पे

छठे वेतन आयोग की इन सिफारिशों को संघ द्वारा कभी नहीं उठाया गया। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले को DoEXP के अनुमोदन से सुलझवाया गया। आकाशवाणी महानिदेशालय से इस संबंध में सूची मांगी गई। हम चाहते थे कि

इसमें सभी eligible AEs को लाभ मिले। इस संबंध में आकाशवाणी महानिदेशालय से सूची देने को कहा गया था परन्तु हमने बिना देरी किए इस सूची को वहां जमा करवा दिया। दिनांक–25.07.2017 को आदेश पारित हुआ और इस ऑर्डर ने AEs भाईयों को वसूली से बचाया।

6 सहायक अभियंता से सहायक निदेशक (ई) की पदोन्नति –

लगभग हमारा सारा स्टाफ उसी केडर पर लंबे समय से बिना पदोन्नति के कार्य कर रहा था। हमारे सहायक अभियंता भाईयों को बिना किसी कारण के पदोन्नत के लिए वंचित किया जा रहा था। परन्तु आरती इस मुद्दे को उठा कर सुलझाने में सफल रहा। वर्तमान आरती समिति ने कड़ी मेहनत की तथा 323 सहायक अभियंताओं को सहायक निदेशक (अभि.) के पद पर पदोन्नत करवाया।

7 वरिष्ठ ई.ए. से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत –

2009 से इस केस को उठाया नहीं गया और लगभग 600 पद इस विभाग में रिक्त पड़े थे। कड़ी मेहनत के पश्चात् 482 व SEAs को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया।

8. EA and SEA 4200 के मर्जर पर रोक –

पहली चुनौती हमारे पास सहायक अभियंता और व.ई.ए. के मर्जरों की थी। यह प्रबंधक की गलत नीतिं थी। आकाशवाणी महानिदेशालय ने दिनांक–5.07.14 को आदेश जारी किया जिसमें ईए/एसईए को ग्रेड–पे 4200 में मर्जर की बात कही तथा इनको जूनियर प्रसारण इंजीनियर का पदनाम दिया गया। हमारी मांगों को खत्म करने के लिए इनकी सुनियोजित योजना थी। इनकी ये योजना सभी अधीनस्थ. इंजीनियत केडर Helpers & AE's के भविष्य को बर्बाद करने की थी। हमने इसका पुरज़ोर विरोध किया तथा तब प्रबंधक इसको उसी दिन वापस लेने के लिए बाध्य हुआ।

9. 31.07.2017 के पश्चात् फंडिंग इश्यू का समाधान –

हम सभी को मालूम है कि माननीय सरकार के आदेश ज्ञापन के निर्णय के अनुसार प्रसार भारती के सरकारी कर्मचारियों को सरकार दिनांक – 31.03.2017 तक फंड देगा। सभी को भय था कि दिनांक 31.03.2017 के पश्चात् हमें वेतन मिलेगा या नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय में इस मुद्दे को उठाया गया तथा इसका समाधान हुआ तब उन्होने वित्त वर्ष 2017–18 में पर्याप्त फंड का आश्वासन दिया गया।

10 भेदभाव पूर्ण स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन पर रोक –

प्रसार–भारती ने भेदभाव पूर्ण स्थानान्तरण नीति को जारी किया । इस नीति में किसी की तैनाती में कार्यालय को चयन की अनुमति नहीं थी। सभी स्थानान्तरण के अधिकार ज़ोन से लेकर महानिदेशालयों को दे दिए गए थे। यहां तक कि ये नीति उन पर भी लागू थी जो डिफिकल्ट स्टेशन काट कर आये। साथ ही डिफिकल्ट स्टेशन काटकर आने पर च्वॉइस पोस्टिंग पर भी रोक लगा दी गई थी। आरती के दबाव पर इस नीति के क्रियान्वयन को रोका गया।

11 अकाउंटिंग प्रक्रिया का पुनः स्थापन –

प्रसार भारती ने एक नया व अनिवार्य नियम बनाया कि सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवा पंजिका को निरीक्षण एकांश में भेजा जाये। इसी कारण सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में बिना वजह देरी हो रही थी। आरती के कड़ी मेहनत से इसको पुनः स्थापन कर सभी स्टाफ को इस कठिनाईयों से बचाया गया।

12 दिनांक – 01.01.1986 में एक वेतन एक वृद्धि के नियम का निपटारा –

नकारात्मक लोगों ने एक नया इश्यू उठाया कि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत एक एक इंक्रीमेंट की वेतन वृद्धि तय की गई और दी गई थी। कुछ लोगों ने कहा यह गलत दिया गया था। आरती ने इस मुद्दे को उठाया और निपटान किया।

13. EA to SEA के पदोन्नत हेतु एफआर–22 का मामले का निपटारा –

सन् 1996 में जब राजशेखर केस क्रियान्वयन हुआ तो सभी एसईए को वही वेतनमान रू.–2000–3200 पर नियत कर लाभ दिया गया। पुनः कुछ असंतुष्ट लोगों की गलत कार्रवाई से जो एसईए पद पदोन्नत हुए थे उनकी वसूली करवा दी गई। उनमें ज्यादातर अब एई/एडीई और डीडीई के पद पर विद्यमान हैं।

14. EA/SEA के 4600/– गेड–पे पर व तकनीशियन के साथ वरिष्ठ तकनीशियन 4600 के मर्जर के संबंध में –

दोनों के मर्जर की प्रक्रिया प्रगति पर है। EA/SEA के मर्जर के संबंध में विभाग ने कई बार कोशिश की है परन्तु हमने सफलतापूर्वक इस पर रोक लगाई।

हमारी पहली कोशिश वेतनमान 6500–10500 की थी। जबकि EA 4200/– में और SEA जो पहले से 4600 ले रहे थे। ये मर्जर 4200/– में नहीं हो सकता था। हमें इसको रूकवाने में सफलता मिली और अब यह मर्जर 4600/– ग्रेड पे में करवाने का प्रयास जारी है।

तकनीशियन और वरिष्ठ तकनीशियन के मर्जर 4200 में जिनका वेतनमान 5000–8000 और 5500–9000 छठा वेतन आयोग सिफारिश में इनका मर्जर ग्रेड पे 4200/– में करने का प्रस्ताव प्रसार भारती बोर्ड द्वारा मंत्रालय को भेजा जा चुका है। हमारा प्रयास है कि मर्जर जल्दी हो।

15. दिनांक– 25.02.1999 अपग्रेडेशन संबंधित मामले –

यह मामला पिछली समिति द्वारा उपहार में दिया गया जो हमारे लिए अभिशाप बन गया है। किसी ने भी इस मुद्दे को 15 साल से नहीं उठाया। जब कभी भी वसूली की धमकी मिलती तो आरती ने तुरंत इस चुनौती को OA 2479/2015 के माध्यम चुनौती दी और वसूली पर रोक लगाई अन्यथा वसूली की जा सकती थी। हमने DoLA से उचित सलाह ली। यह मामला हमारे लिए बहुत वरीयता पर है। वर्तमान में इस मुद्दे को Do.EXP को उचित नोट के साथ भेजा हुआ है।

16. DED/D.Tech/M.Tech के केस –

हम DED/D.Tech/M. Tech के केडर की समस्या को उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनको सिंगल वेतनमान होना चाहिए तथा ये पद मुख्य पद से Merge हो जाएं।

17. LPT के बंद करने के विरोध में तथा स्टाफ को प्रोटेक्ट करने के संबंध में –

हमने इसके बंद करने पर अपना पुरजोर विरोध किया और इस संबंध में हमारा विरोध प्रदर्शन जारी है। यह संतुष्टि का विषय है कि किसी एक भी स्टाफ मेम्बर की नौकरी को कोई खतरा नहीं हुआ तथा LPT बंद होने पर यथा संभव ऐच्छिक पोस्टिंग दिलवाई गई।

उपरोक्त सभी उपलब्धियां चार वर्षों में 2014 से 2017 के बीच कई अड़चनों के बावजूद हासिल की। हमने कभी भी आरती की ऐसी उपलब्धियां पहले कभी नहीं देखीं गई। मैं खुश हूं कि मेरे कार्यकाल में EA(5K), Tech(4K), Tech vs LA, AE 5400 and 7th CPC को लगभग 100 करोड़ का बकाया भुगतान किया गया तथा उनके वेतन में पर्याप्त वृद्धि भी हुई।

मुझे खेद है कि मैं निम्नलिखित समस्याओं का निवारण नहीं कर सका

1. **हैल्पर संबंधी समस्या** – मुझे दुख है कि मैं हैल्पर संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया और न ही कोई सकारात्मक परिणाम दे पाया। किन्तु हमने इस संबंध में बहुत कोशिश की है। हमने हैल्पर भाईयों को ACP दिलाने का कैट में केस जीता किंतु सरकार ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी जहां यह लंबित है। इनको वन टाइम प्रमोशन व सीनियोरिटी कम फिटनेस कोटा खुलवाने के भी बहुत प्रयास किये किंतु नौकरशाही के कारण वांछित सफलता नहीं मिल पाई। नये पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वे हैल्पर संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान दें।

2. **ACP Patna** - मैंने भरसक प्रयास किया कि ACP, Patna को लागू करने में सफल हो सकें। माननीय उच्च न्यायालय पटना में लंबित रिव्यू याचिका के कारण सरकार इसको लागू नहीं कर रही थी। इस मामले में आवेदकों की कोई रूचि नहीं देखी गई और हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। हमारे मामले OA 757/2013 में सरकार द्वारा speaking orders यह कहते हुए जारी किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटिशन के फैसला आने पर हमारे दावे पर विचार किया जाएगा। जब मैंने अध्यक्ष पद का भार संभाला तो मैं और योगेश जी VP(TV) इस रिव्यू पिटिशन में इंटरविनर के तौर पर हस्तक्षेप करने की Interlocutary Application लगाने के लिए पटना गए। इस IA की सुनवाई में सरकारी रिव्यू याचिका को डिसमिस किया गया। इसके बाद ही ACP-Patna का मुद्दा आगे बढ़ा किन्तु प्रबंधन तथा हमारे इंजीनियर अधिकारियों की मिली भगत से ACP-Patna के इशु को सेबोटेज कर दिया गया व इसे लागू नहीं होने दिया। लेकिन मैंने ACP लागू करवाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की।

Shri Anilkumar S. के साथ अनबन, New Association का गठन

कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं और अनिल दोनों अच्छे मित्र थे और कई सालों तक आप दोनों ने मिलकर कार्य किया है। आप दोनों एक–दूसरे के विरोध में क्यों हुए ? मैं समझता हूं कि जब वे अध्यक्ष थे तो मैं महासचिव था तब हम दोनों में खूब निभती थी। जब हमारे पद बदले तो अहम की भावना ने घेर लिया। मुझे प्रतिदिन अपशब्द बोलना, टांग खीचना, अपमानित करना आरंभ कर दिया। ये सब बातें आम हो गईं थी। उनके कुछ चहेतों ने सोशल मीडिया पर मेरे कार्टून इत्यादी बनाए। इन लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। मेरे कारगिल स्टे व अन्य झूठे आधारों पर मेरे विरूद्ध चार इंक्वारी करवाईं किन्तु इसमें इन्हें कोई सफलता नहीं मिली चूंकि झूठ के पांव नहीं होते। फिर भी मैंने शांति बनाए रखने की कोशिश की। कुछ सलाहकारों ने इसमें दोहरी भूमिका निभाई। जो भी हो यह हमारे कर्मचारियों की भलाई के लिए अच्छा नहीं था। 7000 सदस्यों का मजबूत संघठन अहम् के कारण टूट गया और प्रबंधक इसका लाभ उठा रहा है । जब दूसरी एसोसियेशन बनाई गई, मैंने देश के सभी भागों में बैठकें की तथा 10 से अधिक राज्यों में गया। आरती फिर एक बार मजबूत हुई और आज तक आगे है। इस सबके बावजूद मैं अभी भी यह चाहता हूं कि कोई रास्ता निकले और एकता पुनः स्थापित हो जिससे हम सशक्त संघ का पुर्ननिर्माण कर सकें। इसके लिये हमें अपना अहम् छोड़ना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि एकजुट रहकर ही हम संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रिय कामरेड, संस्था में सेवा भावना से कार्य करना चाहिए न कि लाभ के लिए।

बहुत कुछ हुआ है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आखिर में मैं पुनः सभी पदाधिकारीगण एवं सभी गणमान्य सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे 10 वर्षों 2009 से 2019 तक के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए मुझे भरपूर सहयोग दिया। मुझे 24 वर्ष तक पदाधिकारी के रूप में आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिला जिसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं।

मैं अश्वासन देता हूं कि मेरा पूर्ण सहयोग नये चुनकर आये पदाधिकारियों को मिलेगा। यदि यह CWC अपना कार्य ठीक प्रकार से करेगी तो मैं इनकी प्रशंसा करूंगा और यदि ये कोई गलत कार्य करती है तो मुझे सदस्यों को सत्य से अवगत कराना होगा चूंकि आरती मेरी प्राथमिकता है व सदैव रहेगी। मैं हमेशा आपको सही मार्ग पर प्रशस्त रहने के लिए अपना सहयोग करूंगा।

मेरे संपूर्ण कार्यकाल में बहुत से विचार–विमर्श सदस्यों के साथ मैंने किए। इस दौरान यदि किसी सदस्य को मेरी भाषा व सत्य बताने से बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं हांलाकि मैंने सदैव स्वस्थ वातावरण व अच्छे संबंधों को प्राथमिकता दी।

मुझे विश्वास है कि आरती हमेशा अच्छे कार्य करती रहेगी और नई चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर समस्याओं का निपटारा करेगी।

आरती जिंदाबाद

शुभकामनाओं सहित,

उमेश चन्द्र
पूर्व अध्यक्ष , 9871765714
umsharma01@gmail.com